न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश बिश्नोई, आर.ए.एस.

[illegible]

[illegible]

अपीलान्टगण

ब

ना

म

[illegible]

राजस्व अपील प्राधिकारी

जोधपुर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2019-00211RAAJodhpur2019-85RTA223 Manaram ors Vs Beenjaram etc

01. मानाराम पुत्र चौथाराम
02. गोरखाराम पुत्र चौथाराम
    जातियान् जाट, निवासीगण– चुतरपुरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. बींजाराम पुत्र रतनाराम जाति जाट, निवासी–' किशोरनगर, हाल निवासी– चुतरपुरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
2. रूपाराम पुत्र चौथाराम के कायम मुकामः–
   2.1. देवाराम पुत्र रूपाराम
   2.2. गोकलराम पुत्र रूपाराम
   2.3. पुरखाराम पुत्र रूपाराम
   2.4. श्रीमती आसूदेवी पत्नी रूपाराम
   सभी जातियान् जाट, निवासीगण– चुतरपुरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
3. दीपाराम पुत्र भीखाराम के कायम मुकामः–
   3.1. मूलाराम पुत्र दीपाराम
   3.2. खरताराम पुत्र दीपाराम
   3.3. प्रभाराम पुत्र दीपाराम
   जातियान् जाट, निवासीगण– किशोरगढ सोमेसर, हाल निवासी– चुतरपुरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
   3.4. श्रीमती बाबू पत्नी गिरधारीराम पुत्री स्व. दीपाराम जी जाति जाट, निवासी– ग्राम उंटवालिया, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
   3.5. श्रीमती खमा पत्नी भूराराम पुत्री स्व. दीपाराम जी, जाति जाट, निवासी– कुंपलिया, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर।
   3.6. श्रीमती सतु पत्नी बाबूराम पुत्री दीपाराम जाति जाट, निवासी–' ग्राम बलाउ, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मरे।
4. लिखमाराम पुत्र राजूराम के कायम मुकामः–
   4.1. भैराराम पुत्र लिखमाराम
   4.2. गुणेशाराम पुत्र लिखमाराम
   4.3. मगाराम पुत्र लिखमाराम
   4.4. श्रीमती धापूदेवी पत्नी श्री लिखमाराम(फौत)
   जातियान् जाट, निवासीगण– ग्राम चुतरपुरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
5. ताजाराम पुत्र राजूराम जी के कायम मुकामः–

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

5.1. मांगाराम पुत्र ताजाराम
5.2. तगाराम पुत्र ताजाराम
5.3. गुन्नाराम पुत्र ताजाराम
5.4. ओगाराम पुत्र ताजाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती हरकू पत्नी ताजाराम
6. चन्दाराम पुत्र सोनारामजी
7. स्वरूपाराम पुत्र सोनारामजी
8. हरूराम पुत्र सोनारामजी
सभी जातियान् जाट, निवासीगण– किशोरनगर सोमेसर, तहीसल शेरगढ, जिला जोधपुर।
9. श्रीमती मगी बेवा सोनाराम जी जाति जाट, निवासी– चुतरपुरा, तहीसल शेरगढ, जिला जोधपुर।
10. सवाईराम पुत्र हेमाराम जी
11. मगाराम पुत्र हेमाराम जी
12. श्रीमती लाछो पत्नी हेमाराम जी
सभी जातियान् जाट, निवासीगण– चुतरपुरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
13. कलाराम पुत्र रामूराम जी,
14. खंगारराम पुत्र रामूराम जी
15. श्रीमती मालू पत्नी रामूराम जी
16. राणाराम पुत्र लालाराम जी
सभी जातियान् जाट, निवासीगण– ग्राम चुतरपुरा, तहसील, शेरगढ, जिला जोधपुर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 मई 2018 सहायक कलक्टर शेरगढ राजस्व मूल वाद संख्या 83/2008 बींजाराम बनाम रूपाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री रामदेव जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 17
शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 16 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 83/2008 अनवान बींजाराम बनाम रूपाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

25 मई 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 15 मार्च 2019 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 90 कुल रकबा 325.08 बीघा ग्राम किशोरनगर तहसील शेरगढ के संबंध में धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 25 मई 2018 के जरिये वाद स्वीकार कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया है। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी ने वादग्रस्त आराजी खातेदार रतनाराम से दिनांक 03.07.1979 को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। वादी बींजाराम ने राजनैतिक दबाव में उक्त भूमि का नामांतरकरण नहीं होने दिया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद पत्र एवं प्रतिवादगण की ओर से प्रस्तुत जवाब मय काउंटर क्लेम के आधार पर मामले में तनकीयात कायम कर पक्षकारान् को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया। पत्रावली विचारण न्यायालय में जवाब में लंबित चल रही थी। विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान् को बिना कोई सुचना दिये पत्रावली को लोक अदालत केम्प में रखकर मृतक प्रतिवादी रूपाराम एवं लिखमाराम के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया तथा प्रतिवादी के काउंटर क्लेम को निर्णित ही नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारां पत्रावली को लोक अदालत केम्प में रखे जाने की सूचना अपीलांट्स को नहीं दिये जाने तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री पारित करवाये जाने से अपीलांट्स को समय पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट्स को दिनांक 22.02.2019 को नकल प्राप्त होने पर सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट्स को कोई जानकारी नहीं थी।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 मई 2018 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामले को अधीनस्थ न्यायालय में इस निर्देश के साथ कि विधिक प्रक्रिया अपनाकर निर्णित करने के प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगण वक्त निर्णय विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा विलंब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया गया हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन एव म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को लोक अदालत केम्प सुवालिया में रखे जाने की सूचना पक्षकारान् को दिये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं होना लाजमी है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में वर्णित तथ्यों पर विश्वास जाहिर करते हए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गुणावगुण पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात के सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय विलेख दिनांक 03 जुलाई 1979 के जरिये वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 90 रकबा 325.08 बीघा के सहखातेदार रतनाराम पुत्र नगाराम से रकबा 40.06 बीघा भूमि खरीद किया जाना प्रतीत होता है।

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने पर अपीलांट्स द्वारा अपना जवाब दावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली विचारण न्यायालय में अन्य प्रतिवादीगण के जवाब में विचाराधीन चल रही थी। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत वाद पत्र एवं जवाब दावा मय काउंटर क्लेम के आधार पर मामले में तनकीयात कायम कर, पक्षकारान् से साक्ष्य लेकर मामले का तनकीवार विवेचन कर निस्तारण करने के बजाय बिना पक्षकारान् को सूचित किये पत्रावली को लोक अदालत केम्प में रखकर विधिक प्रावधानों के विपरीत एवं मृतक प्रतिवादी रूपाराम एवं लिखमाराम के विरूद्ध निर्णय पारित किया जाना पाया जाता है तथा प्रतिवादी के कांउटर क्लेम का निस्तारण ही नही किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 83/2008 अनवान बींजाराम बनाम रूपाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 मई 2018 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार मामले का पुनः निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर